6/2020

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय जोबनेर कलेक्टर

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	टिप्पणी
	22/8/21	पत्रावली मूलवाद में शीघ्र सुनवाई का प्रा० पत्र पेश होने पर नामजद की गई। मूलवाद में शीघ्र सुनवाई का प्रा० पत्र स्वीकार होने पर अप्रतिवादी को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 23/9/21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
नोटिस जारी 268+2/3 23/8/21			
	23/9	पत्रावली पेश हुई। पी०आर० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17/2/4 को पेश हो।	
	17/9/21	पत्रावली पेश हुई। [illegible] पत्र रजिस्ट्री [illegible] का खारिज होने के कारण [illegible] निष्पादन प्रा० पत्र को आगे चलाने का औचित्य नहीं है इसलिये प्रा० पत्र अस्वीकार निष्पादन खारिज किया जाता है पत्रावली मौसल रफार होकर पत्रावली नम्बर से पास होकर दाखिल दफ्तर हो मूल वाद के साथ चलती रहे।	

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:43:43 IST
Reason: SelfAttested